रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232722
CG-DL-E-18012022-232722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 261] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2022

का.आ. 267(अ).—यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरूनदुरई ग्राम, इरोड जिले में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ.916(अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2008 एवं का.आ.6475(अ) दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमश: 105.445 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित तथा 26.407 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 9.255 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यत:, तमिलनाडु सरकार ने पत्र संख्या 5871/एमआईई.2/2021-1 दिनांक 06 अगस्त, 2021 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज विशेष आर्थिक जोन ने 9.255 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 9.255 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 69.783 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एस एफ संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	एस. एफ. संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पेरूनदुरई	248 पार्ट	0.390
2.		249 पार्ट	0.870
3.		251 पार्ट	1.005
4.		252 पार्ट	2.455
5.		253 पार्ट	2.090
6.		254 पार्ट	0.100
7.		258 पार्ट	0.005
8.		270 पार्ट	0.495
9.		272 पार्ट	1.100
10.		273 पार्ट	0.745
कुल			**9.255**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**69.783**

[फा. सं. एफ.1/119/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2022

S.O. 267(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Engineering Sector at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, Industrial Growth Centre, Perundurai Village, Erode District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 105.445 hectares and de-notified an area of 26.407 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce

and Industry Notifications Number S.O.916(E) dated 23rd April, 2008 and S.O. 6475(E) dated 26th December, 2018, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 9.255 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 5871/MIE.2/2021-1 dated 06th August, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 9.255 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 9.255 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 69.783 hectares. The S.F. numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	S. F. No.	Total Area (in Hectares)
1.	Perundurai	248pt	0.390
2.		249pt	0.870
3.		251pt	1.005
4.		252pt	2.455
5.		253pt	2.090
6.		254pt	0.100
7.		258pt	0.005
8.		270pt	0.495
9.		272pt	1.100
10.		273pt	0.745
Total area for deletion			**9.255**
Grand Total Area of SEZ after above deletion			**69.783**

[F. No. F.1/119/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.01.18 22:01:19 +05'30'